पत्रांक : 1205 /आयु0क0उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2015–16/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।
(धारा–57, अनुभाग),
देहरादूनः दिनांकः 03 जून–2015

प्रार्थना पत्र संख्या – 05/27.05.2015
द्वारा – श्री कमलजीत शर्मा, युवा दून डिस्ट्रिब्यूटर एसोसिएशन (रजि0), जय कॉम्प्लैक्स, 46–ए, आढ़त बाजार, सहारनपुर रोड, देहरादून

उपस्थिति – श्री कमलजीत शर्मा
निर्णय का दिनांक – 03 जून, 2015

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

श्री कमलजीत शर्मा, युवा दून डिस्ट्रिब्यूटर एसोसिएशन (रजि0), जय कॉम्प्लैक्स, 46–ए, आढ़त बाजार, सहारनपुर रोड, देहरादून द्वारा धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में निम्न वस्तुओं पर कर की दर स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई है।

1. विको वज्रदन्ती पेस्ट एवं क्रीम।
2. बोरोलीन।
3. बायोवेदा शैम्पू, क्रीम, जैल, साबुन एवं लोशन आयुर्वेदिक।
4. केश किंग ऑयल।
5. मॉस्केटो कॉईल्स।

धारा–57 के प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु श्री कमलजीत शर्मा उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 96/2005/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 20.01.2015 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या 41 को संशोधित करते हुए उक्त अनुसूची से विभिन्न औषधियुक्त वस्तुओं को बाहर किया गया है, जिससे उन वस्तुओं पर कर की देयता 13.5 प्रतिशत हो गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा संदर्भित वस्तुओं पर 13.5 प्रतिशत कर जमा करने सम्बन्धी मत व्यक्त किया गया है। जबकि सम्बन्धित कम्पनियों एवं डीलर्स द्वारा दिनांक 20.01.2015 के पश्चात् उन्हें विक्रय किए गए उक्त माल पर 5 प्रतिशत की दर से ही कर चार्ज किया जा रहा है। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि विको वज्रदन्ती पेस्ट, विको वज्रदन्ती पाउडर व विको टरमैरिक क्रीम के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए कम्पनी द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि संदर्भित उत्पाद दिनांक 20.01.2015 को किए गए संशोधन के उपरान्त भी 'दवाई' की श्रेणी में आएगा एवं उक्त पर तदनुसार 'दवाई' की भांति 5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

व्यापारी के प्रार्थनापत्र पर विचार किया गया। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 96/2005/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 20.01.2015 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या 41 को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :-

अनुसूची	दिनांक 20.01.2015 से पूर्व की प्रविष्टि व संख्या	अधिसूचना संख्या 96 दिनांक 20.01.2015 द्वारा संशोधित प्रविष्टि
II(ख)	41. ड्रग्स, औषधियाँ और फार्मास्यूटिकल्स निर्मिति (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी) जिसमें टीके की दवा, सिरिंज व पट्टियाँ, औषधिक मल्हम जो ड्रग लाईसेन्स के अधीन उत्पादित हो और आई0पी0 श्रेणी का हल्का लिक्विड पैराफिन।	41. ड्रग्स एवं औषधियाँ, चाहे पेटेन्ट हो या साम्पत्तिक, जैसा कि ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 (केन्द्रीय अधिनियम 23, 1940) की धारा 3 (क) अथवा धारा 3 (ख) के खण्ड (i), (ii), (iii) एवं ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के नियम 2(घ घ) में परिभाषित है, जिसमें वैक्सीन, हाईपोडरमिक सिरिंजेज, हाईपोडरमिक निडिल, अन्त्र–रज्जु, टांका (घाव सीने का धागा), शल्यक रूई, पट्टियाँ, प्लास्टर्स, कैथरटर्स, कैन्यूले, बैन्डेजेज़, औषधिक मल्हम, जो ड्रग लाईसेन्स के अधीन उत्पादित हो, आई0पी0 श्रेणी का हल्का पैराफिन एवं इसी प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं, किन्तु निम्नलिखित औषधियुक्त वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं – (i) सभी प्रकार का तेल (ii) टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर और अन्य दन्त मंजन (iii) साबुन (iv) शैम्पू (v) कॉस्मेटिक्स एवं टॉयलेट प्रिपरेशन्स (vi) टेलकम पाउडर (vii) मच्छर विकर्षक, किसी भी रूप में

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Excise Tariff के सम्बन्ध में वीको वज्रदन्ती टूथ पेस्ट, पाउडर व क्रीम से सम्बन्धित वाद Union of India and Anr. Vs Vicco Laboratories, अपील (सिविल) 5401 (2007) दिनांक 26.11.2007 में निर्णय देते हुए इसे दवाई की श्रेणी में माना गया है। इस निर्णय में यह भी मत दिया गया है कि इन वस्तुओं में दवाई के गुण होने के कारण यह Excise Tariff में Medicine की श्रेणी में माना जाएगा।

उक्त निर्णय के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि Central Excise Tariff में Cosmetics व Medicine की प्रविष्टि है, जिसके क्रम में विभाग द्वारा इन वस्तुओं को Cosmetics माना जा रहा था, किन्तु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में इसे Medicine के अन्तर्गत माना गया है।

दिनांक 20.01.2015 से पूर्व उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की अनुसूची II(ख) की प्रविष्टि संख्या 41 सभी प्रकार की औषधि से सम्बन्धित थी। दिनांक 20.01.2015 को किए गए संशोधन के उपरान्त तेल, टूथ पेस्ट, टूथ पाउडर आदि के औषधियुक्त होने पर इन वस्तुओं को उक्त प्रविष्टि से बाहर कर दिया गया है।

विको वज्रदन्ती पेस्ट औषधियुक्त टूथ पेस्ट है तथा विको वज्रदन्ती क्रीम, बोरोलीन, बायोवेदा क्रीम औषधियुक्त कॉस्मेटिक्स एवं टॉयलेट प्रिपरेशन्स हैं। इसी प्रकार बायोवेदा शैम्पू औषधियुक्त शैम्पू है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र में इंगित वस्तुओं के औषधियुक्त होने के कारण दिनांक 20.01.2015 से प्रविष्टि संख्या 41 में विशेष रूप से औषधियुक्त वस्तुओं को Exclude करने पर इन्हें उक्त प्रविष्टि से आच्छादित नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार मच्छर विकर्षक (Mosquito Repellant) को भी Exclude किया गया है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ये वस्तुएं उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की किसी अन्य प्रविष्टि से भी आच्छादित नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थनापत्र में इंगित की गई सभी वस्तुओं पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

तद्नुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 205/दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इंदिरा नगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाँऊ जोन, रुद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।

8– असि0कमि0 वाणिज्य कर,खण्ड–1, रुड़की–जिला हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, दे0दून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त को वाणिज्य कर की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

10– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।

11– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।

12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।

13– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।

14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।

15– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड